कार्यालय वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा नि विभाग (साधारण बीमा निधि)
वित्त भवन, विधानसभा के पास, ज्योति नगर, जयपुर (राजस्थान)

क्रमांकः सा0बी0नि0 / 3362 दिनांकः 4.12.12

समस्त विभागाध्यक्ष / जिला कलेक्टर /
समस्त प्रबन्ध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी /
राजकीय विभाग / प्रतिष्ठान / निकाय / संस्थान / एवं
सहकारी समितियों।

विषयः—डिफाल्टर बीमा कम्पनियों को बीमा व्यवसाय देने अथवा नवीनीकरण करने के सम्बन्ध में।

संदर्भः—वित्त (जी.एफ.एण्ड ए.आर.) विभाग का परिपत्र संख्या 31 / 2012 दिं. 27.9.2012 एवं समसंख्यक परिपत्र संख्या 32 / 2012 दिनांक 9.11.2012 (संलग्न)

महोदय,

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर लेख है कि वित्त विभाग के द्वारा राज्य सरकार के सभी विभागों / उपक्रमों / निकायों / स्वायत्तशासी संस्थाओं के लिए यह निर्देश प्रसारित किये गये है कि निम्न बीमा कम्पनियों को बीमा व्यवसाय देने अथवा किसी बीमा पॉलिसी का नवीनीकरण करने से पूर्व साधारण बीमा निधि, वित्त भवन, जनपथ, जयपुर से अदेय (नोड्यूस) प्रमाण पत्र प्राप्त किये जावें :—

1. रिलायंस जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड
2. फयूचर जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड
3. आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड
4. ओरियन्टल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड
5. रॉयल सुन्दरम एलायन्स एश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड

अतः कृपया यह सुनिश्चित कर लेवें कि उक्त कम्पनियों को बीमा प्रीमियम का भुगतान करने से पूर्व साधारण बीमा निधि कार्यालय से अदेय (नोड्यूस) प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है। अदेय प्रमाण पत्र के अभाव में उक्त कम्पनियों को प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जा सकता। यदि उक्त परिपत्रों के जारी होने के पश्चात् उक्त कम्पनियों में से किसी कम्पनी को अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना भुगतान किया गया है तो कृपया उसका विवरण अविलम्ब उपलब्ध करावें।

भवदीय

26/11/12

(राजेश शर्मा)
निदेशक
राज्य बीमा एवं प्रा0नि0विभाग
राज0—जयपुर

क्रमांकः सा0बी0नि0 / 3362—72 दिनांकः 4.12.12

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :—

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (जी.एफ.एण्ड ए.आर.) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव (बीमा एवं पेंशन) शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा0नि0विभाग, राज0—जयपुर।
4. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राज0—जयपुर।
5. निदेशक, निरीक्षण विभाग, राजस्थान—जयपुर।
6. समस्त वित्तीय सलाहकार / मुख्य लेखाधिकारी / वरिष्ठ लेखाधिकारी / लेखाधिकारी।
7. समस्त संभागीय व0अतिरिक्त निदेशक / अति0निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा.नि.विभाग.............................संभाग।
8. समस्त संयुक्त / उप / सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा0नि0विभाग, जिला कार्यालय.............................
9. समस्त कोषाधिकारी, कोष कार्यालय.............................
10. सिस्टॅम एनालिस्ट एवं संयुक्त निदेशक, आई0टी0, राज्य बीमा एवं प्रा0नि0विभाग, राज0—जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाइट पर दर्शावें।

(वेद प्रकाश गुप्ता)
वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक
साबीनि, वित्त भवन, जयपुर

राजस्थान-सरकार

वित्त (जी.एफ.एण्ड ए.आर.) विभाग

क्रमांक प.1(4) वित्त/साविलेनि/2006 जयपुर, दिनांक : 27-9-2012

परिपत्र सं: - 31/2012

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिवगण
2. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव,
3. समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टर सहित)
4. समस्त प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी (राजकीय प्रतिष्ठान/निकाय/संस्थान/सहकारी समितियां)

**परिपत्र**

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के खण्ड I के अध्याय XIX के नियम 326 (संलग्न) में यह प्रावधान किया गया है कि निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा प्रशासित सामान्य बीमा निधि, उन सभी सरकारी विभागों, वैधानिक निकायों, राज्य निगमों, राज्य उपक्रमों, सहकारी संगठनों के लिए बीमाकर्ता (इंश्योरर) के रूप में कार्य करेगी, जिनमें राज्य सरकार शेयरधारकों, ऋणों की गारण्टी आदि के रूप में सारवान वित्तीय हित रखती है ।

उक्त नियम 326 द्वारा सामान्य बीमा निधि को राज्य सरकार के बीमाकर्ता नियुक्त किये जाने के कारण सभी राजकीय विभागों, निकायों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, निगमों, उपक्रमों के लिए यह आवश्यक है कि वे उनके क्षेत्राधिकार में निष्पादित किसी भी प्रकार के बीमा व्यवसाय सम्बन्धी कार्य को राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग की सामान्य बीमा निधि के माध्यम से ही सम्पन्न करें ।

राज्य सरकार के स्तर पर लिये गये निर्णयानुसार राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग (साधारण बीमा निधि) द्वारा दिनांक 1 अगस्त, 2011 से अधिक जोखिम वाली बीमा पॉलिसी (अग्नि, बॉयलर एवं एविऐशन इत्यादि) जारी करना बन्द कर दिया गया है। उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में उपरोक्त पॉलिसी सार्वजनिक क्षेत्र की किसी भी बीमा कम्पनी से लिये जाने का प्रावधान किया गया है। अन्य सभी प्रकार का बीमा पूर्ववत् साधारण बीमा निधि कार्यालय द्वारा किया जाता रहेगा।

राज्य सरकार के ध्यान में यह आया है कि राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग (साधारण बीमा निधि) द्वारा निम्न चार कम्पनियों से कराये गये पुनर्बीमा/सहबीमा के पुनर्भरण दावों का भुगतान उक्त कम्पनियों द्वारा नहीं किया जा रहा है :

1. रिलायंस जनरल इंश्योरेन्स कं0 लि0
2. फ्यूचर जनरली इंश्योरेन्स कम्पनी लि0

3. आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेन्स कं० लि०
4. ओरियण्टल इंश्योरेन्स कं० लि०

अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में किसी भी राजकीय विभाग / सार्वजनिक उपक्रम / स्वायत्तशाषी निकाय, जो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम 326 की परिधि में आते है, द्वारा भविष्य में उक्त बीमा कम्पनियों में से किसी भी बीमा कम्पनी को बीमा व्यवसाय देने अथवा नवीनीकृत करने से पूर्व राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग (साधारण बीमा निधि) से अदेय प्रमाण पत्र **(No Dues Certificate)** आवश्यक रूप से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाये। इस निर्णय के प्रभावी कियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित विभाग / राजकीय निगम / सार्वजनिक उपकम / स्वायत्तशाषी निकायों द्वारा बीमा व्यवसाय देने की प्रकिया में राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग (साधारण बीमा निधि कार्यालय) के प्रतिनिधि को आवश्यक रूप से सम्मिलित किया जाये, ताकि कोई भी डिफाल्टर कम्पनी राज्य सरकार की बकाया राशि का भुगतान किये बिना बीमा व्यवसाय प्राप्त नहीं कर सकें।

26.9.2012

(डॉ. गोविन्द शर्मा)
प्रमुख शासन सचिव, वित्त

क्रमांक : प.1(5)वित्त/साविले नि/2006 जयपुर, दिनांक : 27.9.2012
प्रतिलिपि— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है —
1. निदेशक, कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर
2. निदेशक, निरीक्षण विभाग राजस्थान, जयपुर
3. निदेशक, स्थानीय अंकेक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर
4. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग राजस्थान, जयपुर
5. समस्त वित्तीय सलाहकार / मुख्य लेखाधिकारी / वरिष्ठ लेखाधिकारी ..............
6. समस्त कोषाधिकारी
7. सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग

संयुक्त शासन सचिव,
(जी.एण्ड.टी)

[redacted]

47/c

**राजस्थान सरकार**
**वित्त विभाग**
**(सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम अनुभाग)**

क्रमांक : प.1(4)वित्त/साविलेनि/2006

जयपुर, दिनांक : 9.11.12
परिपत्र संख्या : 32/2012

## परिपत्र

इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र संख्या 31/2012 दिनांक 27.9.2012 के द्वारा यह निर्देश दिये गये थे कि किसी भी राजकीय विभाग/सार्वजनिक उपक्रम/स्वायत्तशाषी निकाय, जो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम 326 की परिधि में आते हैं, द्वारा भविष्य में निम्न चार बीमा कम्पनियों में से किसी भी बीमा कम्पनी को बीमा व्यवसाय देने अथवा नवीनीकृत करने से पूर्व राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग (साधारण बीमा निधि) से अदेय प्रमाण पत्र (No Dues Certificate) आवश्यक रूप से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाये :

1. रिलायंस जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड
2. फ्यूचर जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड
3. आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड
4. ओरियन्टल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड

राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग (साधारण बीमा निधि) द्वारा मैसर्स रॉयल सुन्दरम् एलायन्स एश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड से कराये गये पुनर्बीमा/सहबीमा के पुनर्भरण दावों का भुगतान उक्त कम्पनी के द्वारा भी नहीं किया जा रहा है।

अतः भविष्य में उक्त चार बीमा कम्पनियों के साथ-साथ **मैसर्स रॉयल सुन्दरम् एलायन्स एश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड** को बीमा व्यवसाय देने अथवा नवीनीकृत करने से पूर्व राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग (साधारण बीमा निधि) से अदेय प्रमाण पत्र (No Dues Certificate) आवश्यक रूप से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

( अखिल अरोरा )
शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-
1. निजी सचिव, राज्यपाल/मुख्यमंत्री/समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख शासन सचिव/समस्त शासन सचिव/समस्त विशिष्ट शासन सचिव।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान, जयपुर। 4. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
5. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर। 6. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
7. समस्त उप शासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग।
8. प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखा परीक्षा) राजस्थान, जयपुर।
9. महालेखाकार (प्राप्ति एवं वाणिज्यिक लेखा परीक्षा)/(ए एण्ड ई) राजस्थान, जयपुर।
10. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त। 11. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान।
12. समस्त वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी समस्त विभाग। 13. समस्त कोषाधिकारी
14. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (कोडीफिकेशन) अतिरिक्त प्रति सहित।
15. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
16. सिस्टम एनालिस्ट,, वित्त विभाग को प्रेषित कर लेख है कि वित्त (समन्वय) विभाग के आदेश संख्या प.17 (1) वित्त (समन्वय)/04 दिनांक 22.6.2004 के क्रम में इस परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखाधिकारी

GFRRULES

[redacted]